कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0 / युगलपीठ / —— / 2026 दि0 लखनऊः मई 12, 2026

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 395 / 2026 दिनांक 18.04.2026 के द्वारा माह मई, 2026 में **जनपद लखनऊ** में युगलपीठ का गठन **दिनांक 15.05.2026 से 16.05.2026** तक किया गया है। उपरोक्त युगलपीठ में विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2 लखनऊ को नामित किया गया है।

सदस्य, पीठ–2 लखनऊ के दिनांक 11.05.26 से 25.05.26 तक आवेदित उपार्जित अवकाश के कारण दिनांक 15.05.2026 से 16.05.2026 तक गठित युगल पीठ में उनके स्थान पर सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–3 लखनऊ को नामित किया गया था। सदस्य पीठ–2 लखनऊ के अनुरोध पर आदेश दिनांक 07.05.2026 द्वारा इनका उपार्जित अवकाश अस्वीकृत कर दिया गया है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत संशोधित युगल पीठ गठन आदेश सं0 445 / 2026 दिनांक 29.04.2026 को निरस्त करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 395 / 2026 दिनांक 18.04.2026 को बहाल किया जाता है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0 / 28.04.2026
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / यु0पी0 / 504 / 2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2 व 3 लखनऊ ।
2– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
3– प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ सहायक (विवरण / वेव अधिकारी / नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र0निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।